रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2018/श्रावण 3, 1940
No. 505] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2018/ SHRAVANA 3, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2018

सा.का. नि. 675(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19क में, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(5) जहां किसी सूचीबद्ध कंपनी में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 31 के अधीन अनुमोदित सामाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप लोक शेयरधृति पच्चीस प्रतिशत से कम हो जाती है, वहां ऐसी कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में इस प्रकार कमी होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर लोक शेयरधृति को पच्चीस प्रतिशत तक करेगी:

परंतु यदि लोक शेयरधृति दस प्रतिशत से कम हो जाती है तो उसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में इस प्रकार कमी होने की तारीख से अधिकतम अठारह मास की अवधि के भीतर कम से कम दस प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।"

[फा.सं. 01/11/2018-पीएम]

डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 576, तारीख 21 फरवरी, 1957 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए :-

(i) सा.का.नि. 1096, तारीख 14 जुलाई, 1967 ;

(ii) सा.का.नि. 685, तारीख 3 जून, 1972 ;

(iii) सा.का.नि. 959, तारीख 8 अगस्त, 1972 ;

(iv) सा.का.नि. 2641, तारीख 1 नवम्बर, 1975 ;

(v) सा.का.नि. 1083, तारीख 11 नवम्बर, 1985 ;

(vi) सा.का.नि. 666(अ), तारीख 20 जुलाई, 1987 ;

(vii) सा.का.नि. 1070(अ), तारीख 15 नवम्बर, 1985 ;

(viii) सा.का.नि. 870(अ), तारीख 13 नवम्बर, 1992 ;

(ix) सा.का.नि. 617(अ), तारीख 20 सितम्बर, 1993 ;

(x) सा.का.नि. 749(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 1994 ;

(xi) सा.का.नि. 790(अ), तारीख 7 नवम्बर, 1994 ;

(xii) सा.का.नि. 121(अ), तारीख 9 मार्च, 1995 ;

(xiii) सा.का.नि. 291(अ), तारीख 27 मार्च, 1995 ;

(xiv) सा.का.नि. 581(अ), तारीख 23 दिसम्बर, 1996 ;

(xv) सा.का.नि. 654(अ), तारीख 8 अगस्त, 2000 ;

(xvi) सा.का.नि. 655(अ), तारीख 8 अगस्त, 2000 ;

(xvii) सा.का.नि. 415(अ), तारीख 7 जून, 2001 ;

(xviii) सा.का.नि. 696(अ), तारीख 28 अगस्त, 2003 ;

(xix) सा.का.नि. 395(अ), तारीख 10 जून, 2009 ;

(xx) सा.का.नि. 469(अ), तारीख 4 जून, 2010 ;

(xxi) सा.का.नि. 662(अ), तारीख 9 अगस्त, 2010 ;

(xxii) सा.का.नि. 705(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 2013 ;

(xxiii) सा.का.नि. 21(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014 ;

(xxiv) सा.का.नि. 611(अ), तारीख 22 अगस्त, 2014 ;

(xxv) सा.का.नि. 682(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2014 ;

(xxvi) सा.का.नि. 819(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2014 ;

(xxvii) सा.का.नि. 125(अ), तारीख 25 फरवरी, 2015 ;

(xxviii) सा.का.नि. 268(अ), तारीख 20 मार्च, 2017 ;

(xxix) सा.का.नि. 664(अ), तारीख 27 जून, 2017 ; और

(xxx) सा.का.नि. 822(अ), तारीख 3 जुलाई, 2017 ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2018

G.S.R. 675(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, namely:—

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called as the Securities Contracts (Regulation) (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, in rule 19A, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:–

> "(5) Where the public shareholding in a listed company falls below twenty-five per cent, as a result of implementation of the resolution plan approved under section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), such company shall bring the public shareholding to twenty-five per cent within a maximum period of three years from the date of such fall, in the manner specified by the Securities and Exchange Board of India:
>
> Provided that, if the public shareholding falls below ten per cent, the same shall be increased to at least ten per cent, within a maximum period of eighteen months from the date of such fall, in the manner specified by the Securities and Exchange Board of India."

[F. No. 01/11/2018-PM]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 *vide* notification number S.R.O. 576, dated the 21st February, 1957 and subsequently amended *vide* the following notification numbers:–

(i) G.S.R 1096, dated the 14th July, 1967;

(ii) G.S.R. 685, dated the 3rd June, 1972;

(iii) G.S.R. 959, dated the 8th August, 1972;

(iv) G.S.R. 2641, dated the 1st November, 1975;

(v) G.S.R. 1083, dated the 11th November, 1985;

(vi) G.S.R. 666(E), dated the 20th July, 1987;

(vii) G.S.R. 1070(E), dated the 15th November, 1988;

(viii) G.S.R. 870(E), dated the 13th November, 1992;

(ix) G.S.R. 617(E), dated the 20th September, 1993

(x) G.S.R. 749(E), dated the 12th October, 1994;

(xi) G.S.R. 790(E), dated the 7th November, 1994;

(xii) G.S.R. 121(E), dated the 9th March, 1995;

(xiii) G.S.R. 291(E), dated the 27th March, 1995;

(xiv) G.S.R. 581(E), dated the 23rd December, 1996;

(xv) G.S.R. 654(E), dated the 8th August, 2000;

(xvi) G.S.R. 655(E), dated the 8th August, 2000;

(xvii) G.S.R. 415(E), dated the 7th June, 2001;

(xviii) G.S.R. 696(E), dated the 28th August, 2003;

(xix) G.S.R. 395(E), dated the 10th June, 2009;

(xx) G.S.R. 469(E), dated the 4th June, 2010;

(xxi) G.S.R. 662(E), dated the 9th August, 2010;

(xxii) G.S.R.705 (E), dated the 24th October, 2013;

(xxiii) G.S.R. 21(E), dated the 16th January, 2014;

(xxiv) G.S.R. 611 (E), dated the 22nd August, 2014;

(xxv) G.S.R. 682 (E), dated the 19th September, 2014;

(xxvi) G.S.R. 819(E), dated the 18th November, 2014;

(xxvii) G.S.R. 125(E), dated the25th February, 2015;

(xxviii) G.S.R. 268(E), dated the 20th March, 2017;

(xxix) G.S.R. 664(E), dated the 27th June, 2017; and

(xxx) G.S.R. 822(E), dated the 3rd July, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.07.27 18:58:12 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.